UPPG010041122026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (एच०जे०एस०) जे०ओ० कोड–UP 1713
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1613/2026

विपिन सिंह आयु 38 वर्ष सुत धीरेन्द्र सिंह निवासी शीतला बक्स का पुरवा थाना संग्रामपुर जिला अमेठी

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

मु०अ०सं०–66/2026,
धारा–109(1), 352, 351(3) बी.एन.एस.
व 3/25/27 आर्म्स एक्ट
थाना–लीलापुर, जिला–प्रतापगढ़।

दिनांक 18.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **विपिन सिंह** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–66/2026, धारा– 109(1), 352, 351(3) बी.एन.एस.व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना–लीलापुर, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–22.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 22.03.2026 को मै थानाध्यक्ष बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव का० सुनील कुमार व का० बाबूलाल मय चालक का० योगेश कुमार के मय सरकारी वाहन यूपी 32 ईजी 5291 के रवाना शुदा रो० आम तारीखी इमरोजा वहवाले रपट न० 03 समय 00.31 बजे बावत देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित वारण्टी एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन मे मामूर होकर लीलापुर चौराहे पर मौजूद था कि जरिये आरटी सेट व दूरभाष प्रभारी निरीक्षक लालगंज द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/26 धारा 309 (5) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह नि० ग्राम शीतला बक्स का पुरवा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त भी मै दिनांक 16.03.2026 को प्राथमिक विद्यालय पूरनपुर खजूर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ से भी एक अध्यापिका से गले मे पहने सोने का चेन तमन्चा दिखाकर छीना था, छीना झपटी मे सोने के चेन के लगभग आधा हिस्सा ही छीन पाया था। अगर आप इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु पूछताछ करना चाहते है तो थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ में आ जाइये। प्राप्त सूचना के क्रम मे मुझ थानाध्यक्ष को उक्त घटना के सम्बन्ध मे पहले से जानकारी थी उक्त घटना में मु0अ0सं0 62/26 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है। जिसकी विवेचना थाना स्थानीय पर नियुक्त

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.06.18 13:44:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उ0नि0 श्री सौरभ यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है। तत्पश्चात थाना कार्यलाय से क्षेत्र मे रवानाशुदा अधिकारी कर्मचारियो की जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त जानकारी के क्रम मे उ0नि0 श्री सौरभ यादव, उ0नि0 श्री शिशिर पटेल का० सौरभ पाण्डेय, का० रंजीत बाबू, का0 विनय के साथ थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ पहुँचा जहाँ पर प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार कार्यालय में मौजूद मिले उनके द्वारा अभियुक्त से मिलवाया गया अभियुक्त मर्दाना हवालात में मौजूद है, जिसको हवालात गेट पर बुलाकर उपरोक्त थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ के दिनांकित 16.03.2026 की घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी, पूँछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि साहब मेरी मुलाकात सतीश पटेल पुत्र लालचन्द्र पटेल नि० ग्राम महमदपुर चारपुरा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ और अशोक कुमार तिवारी पुत्र हर्ष नारायण तिवारी नि० पूरे गजई थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ हालमुकाम सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ से जेल में रहने के दौरान हुयी थी। तत्पश्चात मै और सतीश पटेल जब जेल से बाहर आये तो मार्च के पहले हफ्ते में अशोक कुमार तिवारी उपरोक्त के घर जाकर मिले और पैसा कमाने के बारे चर्चा किये तो अशोक कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि इस समय मेरे बैंक का सिविल स्कोर खराब चल रहा है। इस समय सोने का भाव बहुत बड गया है अगर तुम लोग चेन 'छेनने का काम करोगे तो हम लोगो की पैसे की समस्या दूर हो सकती है। अशोक तिवारी द्वारा यह भी बताया गया कि मैं तुम लोगो को असलहा भी उपलब्ध करा दूंगा। एवं कोई दिक्कत होगी तो उसको भी संभाल लूंगा, हम दोनो लोग अशोक तिवारी की बात को मान लिये फिर अशोक तिवारी द्वारा हम दोनो लोगो को एक–एक तमन्चा और कारतूस दिया गया, अशोक तिवारी की बनाई गयी योजना के अनुसार हम तीनो लोग दिनांक 16.03.2026 को प्रतापगढ से मिले और चेन छिनने की योजना बनाई। फिर उसी दिन मै और सतीश प्रतापगढ से अपनी मोटरसाईकिल सीडी डीलक्स रजिस्ट्रेशन न0 UP36 4820 से सबसे पहले लालगंज आये जहाँ पर लालगंज के पास जलेशर गंज रोड से एक महिला का चेन छिनने का प्रयास किये किन्तु सफल नहीं हो सके । महिला द्वारा जोर जोर से चिल्लाने पर हम दोनो लोग मौके से भाग गये तथा डेरवा होते हुये मोहनगज से कुछ पहले बडनी मोड़ से मुडकर प्राथमिक विद्यालय पूरनपुर खजूर पहुँचे तो देखा कि एक मैडम स्कूल में पढ़ा रही थी जिसपर हम लोग रुक गये तथा अपने अपने तमन्चे निकालकर उस महिला के पास पहुँचे और उसे तमन्चा दिखाते हुये हम लोगो ने उसके गले मे पहनी हुयी चेन को छिनते हुये भागे जिसमे चेन का कुछ ही हिस्सा उस महिला के पास बचा शेष हम लोग लेकर वहाँ से भाग गये। फिर हम लोग लीलापुर तिराहे से साहबगंज की तरफ मुड गये इस रोड पर कुछ दूर जाने के पश्चात सई नदी से कुछ दूर पहले कमौरा के पास स्थित झाडियों मे मैने अपना तमन्चा और कारतूस तथा छीनी हुयी सोने कीचेन का हिस्सा प्लास्टिक की पन्नी मे लपेटकर छिपा दिया तथा चेन का शेष हिस्सा हम लोगो ने अशोक तिवारी को दे दिया तत्पश्चात अभियुक्त विपिन सिंह उपरोक्त द्वारा दिये गये बयान एवं घटना को स्वीकार करने के उपरान्त उससे पूछा गया कि बाद घटना सोने की चेन का हिस्सा एवं तमन्चा जिस स्थान पर छिपाये हो बरामद करा सकते हो। अभियुक्त विपिन

सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यदि आप मुझ उक्त स्थान पर ले चलेंगे तो मै बरामद करा सकता हु तत्पश्चात पूरा विवरण प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ को अवगत कराते हुये थाना लालगंज से प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार, व० 3 ०नि० श्री अरुण कुमार सिंह उ 0 नि0 श्री बनबारी लाल पाल का० माधवेश राय, का० ऋषि राज यादव मय सरकारी वाहन एवं मुझ थानाध्यक्ष की उपरोक्त पुलिस टीम अभियुक्त को साथ लेकर उसके बताये स्थान कि ओर रवाना हुये। एवं रास्ते मे जरिये दूरभाष रात्रिधिकारी उ 0 नि0 श्री हरेन्द्र सिंह एवं पूर्व से रखानाशुदा उ 0 नि0 श्री सुमित वर्मा को घटना क्रम से अवगत कराते हुये अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान पर शीघ्र पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया एवं मै थानाध्यक्ष मय टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुँचा इसी बीच उपरोक्त टीम जिनको जरिये दूरभाष पहुँचने हेतु निर्देशित किया गया था मौके पर उ 0 नि0 श्री हरेन्द्र सिंह मय हमराह हे0 का0 नागेन्द्र कुमार मय सरकारी वाहन मय चालक अजय यादव एवं उ 0 नि0 श्री सुमित वर्मा मय का० पवन यादव का० राजकुमार सिंह के उपस्थित आये। सभी उपरोक्त पुलिस टीम की मौजूदगी मे अभियुक्त को सरकारी वाहन से उतारकर घटना मे छिनी गयी सोने की चेन का हिस्सा एवं तमन्चा मय कारतूस बरामदगी हेतु उस स्थान पर चलने हेतु कहा गया जिस स्थान पर उसने अवैध तमन्चा कारतूश एवं सोने की चेन का हिस्सा छिपा रखा था अभियुक्त विपिन सिंह उपरोक्त आगे आगे चलकर सई नदी से लगभग 100 मी० पहले वहद ग्राम भागीपुर कमौरा के पास रोड से लगभग 20 कदम की दूरी पर सरपत/झाडियो के पास रुककर अभियुक्त द्वारा इधर उधर घूम कर उपरोक्त सामान ढूढने का प्रयास किया जा रहा था इसी क्रम मे अभियुक्त द्वारा झाडी के पास से एक काली प्लास्टिक की पन्नी को खोलते हुये काफी फुर्ती से पन्नी से तमन्चा निकाल कर तानते हुये यह कहने लगा कि साले मैं पहले से ही समझ रहा हूँ कि तुम लोग मुझे जेल भेजकर ही मानोगे इस लिये मेरे भागने मे ही भलाई है। एवं कहा कि मुझे छोड़ कर भाग जाओ नहीं तो तुम लोगो को जान से मार दूंगा। यह कह कर भागते हुये उसने हम पुलिस वालों पर तमन्चा तान दिया । तत्पश्चात हम पुलिस वालो द्वारा उसे समझाते हुये कहा गया कि तुम आत्मसमर्पण कर दो तुम्हारे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही ही की जायेगी। उसके उपरान्त विपिन सिंह उपरोक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुये तरीके से अपने आप को बचाते हुये आत्मसुरक्षार्थ मुझ थानाध्यक्ष द्वारा दो फायर किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त कराहने लगा और कहने लगा कि मेरे पैर मे गोली लग गयी। हम पुलिस वाले टेक्टिकल हरकतो का इस्तेमाल करते हुये उक्त बदमाश के पास पहुँचकर देखा तो उसके बाये पैर मे छूटने से थोडा नीचे खून बह रहा है जिसके लोअरको ऊपर उठा कर देखा गया तो गोली लगी है। व्यक्ति के पास ही एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस पडा हुया मिला। तत्पश्चात साथ ही पुलिस बल से मेरे द्वारा उनकी कुशलता पूछी गयी तो पुलिस टीम के आरक्षी राजुकमार सिंह भी कराहते हुये कहने लगे कि साहब मेरे भी दाहिने हाथ के बाजू में गोली लग गयी है। शेष अन्य सभी ने अपनी कुशलता व्यक्त की एवं फायर करने के सम्बन्ध मे पूछा तो किसी के द्वारा कोई फायर न किया जाना बताया गया। केवल मुझ थानाध्यक्ष द्वारा ही अपनी सरकारी

पिस्टल से 2 राउण्ड फायर किये गये है। घायल व्यक्ति के घांव को मौके पर सफेद गमछे से बाधा गया एवं मजरूब आरक्षी राजकुमार सिंह की चोट का निरीक्षण करते हुये कपड़े से बाँधा गया। पुलिस मुठभेड़ की सूचना उच्चाधिकारियो तथा फील्ड/फारेन्सिक टीम को जरिये आरटी सेट एवं दूरभाष से दी जा रही है।

3. **जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी बेगुनाह है। कानूनन या वाकियातन प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उपरोक्त मुकदमे की प्राथमिकी पुलिस द्वारा कानूनी सलाह मशविरे के पश्चात करीब 6 घंटे विलंब से लिखायी गयी है। प्रार्थी के पास से किसी प्रकार के नाजायज कट्टे व कारतूस की बरामदगी नही हुई है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष जनता का गवाह भी नही है। प्रार्थी ने न तो पुलिस पार्टी पर कोई फायर किया और न ही उसके फायर करने से कोई पुलिस कर्मी ही घायल हुआ वल्कि गुड वर्क दिखाने व लाभ पाने के उद्देश्य से थाने के अंदर ही सारी फर्जी व मनगढंत कहानी तैयार की गयी है। कथित घटना में घायल पुलिस कर्मी राज कुमार की चोटे साधारण प्रकृति की है और उक्त चोट उसके किसी मर्म स्थल पर आने की बात नहीं लिखी गयी है। प्रार्थी कभी का सजायाप्ता नही है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न विचाराधीन है न निरस्त हुआ है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनउ मे प्रस्तुत व विचाराधीन नही है न ही निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। कथित मामले में बरामदगी में जनता के किसी स्वतंत्र साक्षी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का आरोप है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि**

आवेदक/अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का आरोप है। घटना में चोटहिल राजकुमार की आघात आख्या के अनुसार एक छिला हुआ घाव कोहनी पर दर्शाया गया है, जो आग्नेयास्त्र से आने का उल्लेख है तथा एक्स–रे की सलाह दी गई है, जिसमें एन.ए.डी. का उल्लेख किया गया है। जवाबी फायर में अभियुक्त के पैर में गोली लगने का उल्लेख किया गया है। चोटहिल को आई चोट मर्म अंग पर एवं प्राण घातक नहीं

है। आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध प्रेषित की जा चुकी है। विचारण में अभी समय लग सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–18.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई विचार किये अभियुक्त का मामला जमानत के लिए उपयुक्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त **विपिन सिंह** द्वारा मु०अ०सं०–66/2026, धारा– 109(1), 352, 351(3) बी.एन.एस.व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना–लीलापुर, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार रूपये** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/ Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक–18.06.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़।

विकाश प्रभाकर/–स्टेनो